कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 154 /2 सि०

दिनांक 25/01/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं0 23336/2016)

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के EDS dated 16-01-2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियाँ लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	Overwriting made in VLC proceeding and DLC proceeding is not authenticated.	Revised FRA (VLC proceeding and DLC proceeding) upload in form A, part I
2	Hard copy with original docuemtns is not received so far.	original docuemtns is received Letter No Camp/Kapkot Dated 21-01-2017 (letter attached)
3	NPV is wrongly calculated for dense forest.	Revised NPV calculated upload in part-I

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
कपकोट

प्रपत्र– 23

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत पोथिग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम
तहसील का नाम कपकोट , जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत पोथिग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (3.255 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.297 है0 सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 0.735 है0) अर्थात कुल 4.287 है0 वनभूमि का लोक **निर्माण विभाग कपकोट** के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पोथिंग द्वारा दिनांक 27-11-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पोथिंग के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0 / –

ग्राम सचिव ग्राम विकास अधिकारी
क्षेत्र पोथिंग
वि0ख0 कपकोट जनपद बागेश्वर

ह0 / – [illegible]
प्रधान
ग्राम पंचायत पोथिंग
वि0ख0 कपकोट (बागेश्वर)

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र– 23

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 27-11-16 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत पोथिंग

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
(1)	लोकपाल सिंह मेहता	लोकपाल सिंह
(2)	मदन सिंह "	मदन सिंह
(4)	मोहन सिंह	मोहन सिंह
(5)	[illegible] सिंह	[illegible] सिंह
(6)	राम सिंह	[illegible]
(7)	प्रेम सिंह	[illegible]
(8)	खुशाल सिंह	[illegible]
(9)	नन्द सिंह	[illegible]

चम्पा देवी
ह0 / प्रधान
ग्राम पंचायत पोथिंग
वि0ख0 कपकोट (बागेश्वर)

प्रपत्र– 23

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत पोथिग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम
तहसील का नाम **कपकोट** , **जिला बागेश्वर**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत पोथिग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (3.255 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.297 है0 सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 0.735 है0) अर्थात कुल **4.287** है0 वनभूमि का **लोक निर्माण विभाग** कपकोट के पक्ष मे भारत सरकार एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तोली द्वारा दिनांक 28/10/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। पर सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारो का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तोली के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव ग्राम विकास अधिकारी
क्षेत्र तोली
वि0ख0 कपकोट जनपद बागेश्वर

ह0/– तिमला देवी
प्रधान
ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत तोली
वि0ख0 कपकोट (बागेश्वर)

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत पोथिग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 28/10/2016 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत तोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
(1)	बलवन्त सिंह S/o मानु सिंह	बलवन्त सिंह
(2)	हरीश सिंह S/o प्रेम सिंह	हरीश सिंह
(3)	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
(4)	लोकपाल सिंह S/o कितर सिंह	लोकपाल
(5)	कैलाश चन्द्र S/o मोहन चन्द्र	कैलाश चन्द्र जोशी
(6)	खुशाल सिंह S/o राम सिंह	खुशाल सिंह
(7)	रघुशाल सिंह S/o [illegible] सिंह	रघुशाल सिंह
(8)	गोपाल सिंह S/o मान सिंह	गोपाल सिंह
(9)	प्रताप सिंह S/o [illegible] सिंह	प्रताप सिंह
(10)	दीपा देवी w/o मोहन सिंह	Deepa
(11)	कमला देवी w/o चन्द्र सिंह	Kamla
(12)	[illegible] देवी w/o [illegible] सिंह	[illegible] देवी
(13)	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible] K
(14)	हिमती देवी w/o [illegible] सिंह	हिमती देवी
(15)	कमला देवी w/o गोपाल सिंह	[illegible] देवी
(16)	राधा देवी w/o [illegible] सिंह	राधा
(17)	[illegible] देवी S/o [illegible] सिंह	[illegible] देवी
(19)	[illegible] S/o [illegible]	[illegible]
(20)	[illegible] S/o [illegible]	[illegible]
(21)	[illegible] S/o [illegible]	[illegible]

विमला देवी
ह0/–
प्रधान
ग्राम पंचायत तोली
ग्राम प्रधान
वि0ख0 [illegible] बागेश्वर

प्रपत्र– 23

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 28/10/16 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत तोली

कमाक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
22	चन्द्र दत्त S/O हरी वल्लभ	चन्द्र दत्त
(23)	बसन्त वल्लभ S/o प्रयाग दत्त	B.B. ...
(24)	कैलाश चन्द्र S/o मथुरा दत्त	[illegible]
(25)	प्रकाश चन्द्र S/o गोवर्धन	प्रकाश चन्द्र
(26)	श्याम दत्त S/o मथुरा दत्त	श्याम दत्त
(27)	हरीश चन्द्र S/o पु[illegible]	[illegible]

विमला देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत तोली
वि0ख0 कपकोट (बागेश्वर)

प्रपत्र– 23.2

परियोजना का नाम:– जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी **कपकोट**

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति..........कपकोट..............

उपखण्ड **कपकोट** परिक्षेत्र के जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण (**3.255** है0 आरक्षित वन भूमि, सिविल एवं सोयम वनभूमि **0.297** है0 वन पंचायत भूमि **0.735** है0, अर्थात कुल **4.287** है0 वन भूमि) का **लोक निर्माण** विभाग **कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **कपकोट**) की दिनांक 3.12.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **कपकोट**) की दिनांक 3.12.2016 को सम्पन्न बैठककी कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एन. एस. नगन्याल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

Sub Divisional Magistrate Kapkote (Bageshwar)

1– श्री डा० एन० एस० नगन्याल उपजिलाधिकारी
2– श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर सदस्य
3– श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी कपकोट सदस्य
4– श्री प्रकाश जोशी [illegible] सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का [illegible] करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु **4.287** है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किए जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया।ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी **बागेश्वर** अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराये कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कपकोट क्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु **4.287** है0 वनभूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड कपकोट
जनपद- बागेश्वर

Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील......कपकोट......
जनपद......बागेश्वर......

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी......बागेश्वर......को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड कपकोट
जनपद- बागेश्वर

Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील......कपकोट......
जनपद......बागेश्वर......

2.24.1

वन पंचायत पोथिंग (सुलामती) की बैठक कार्यवाही

दिनांक 28/10/16 को वन पंचायत पोथिंग सुलामती की बैठक हुई जिसमें जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है, जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

देवसिंह
सरपंच - वन पंचायत सुलामती

ह0 [signature]
सरपंच

दिनांक :- 28/10/16
स्थान:- पोथिंग सुलामती

प्रतिलिपि अधिषासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरपंच [signature]

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

1. सरस्वती देवी — सरस्वती देवी
2. रेवती देवी — रेवती पाठक
3. खीला पाठक — [signature]
4. शोभा देवी — शोभा जोशी
5. चन्द्र दत्त — चन्द्र दत्त
6. प्रकाश चन्द्र पाठक — प्रकाश चन्द्र पाठक
7. [illegible] — [signature]

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी० मोटर मार्ग में स्थानीय काश्तकारों की जितनी नापभूमि सडक निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू–स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट

जिलाधकारी
जिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र– 23.3

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु **4.287है0** वन भूमि **निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति **बागेश्वर** तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिलाधिकारी
बागेश्वर

Form-I
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

NO.......................

Dated..21./12/16

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.287 hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Pothing to Toli Motor Road 7.00 Km** district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.287** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexure.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers**.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent it.......**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above
Dated- 21/12/16

21/12/16
District Collector
Seal
जिलाधिकारी
बागेश्वर
(Full name and official seal of the District Collector

Form-II

(for liner project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwer

NO........................ Dated..21.12.16

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No-11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified **4.287** hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Pothing to Toli Motor Road 7.00 Km** It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.287** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure........to annexure.......
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA **YES**
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of Pothing/Toli..... Village (s) is enclosed as annexure........
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: **YES**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: **YES**
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: **NA**

21.12.16

District Collector

Bageshwar

जिलाधिकारी

बागेश्वर

ANNEXURA-1

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district,constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. **Mangesh Ghildiyal** I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 21/12/2016 at time 4:00 pm at Bageshwar in which application claiming rights in **Pothing/Toli** area measuring **4.287** hect for the Construction of **Pothing to Toli Motor road 7.00 Km** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

District Collector
Bageshwar
जिलाधिकारी
बागेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com **Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)**

पत्रांक comp / kapkot दिनांक 21 / 01 / 2017

सेवा में,

नोडल अधिकारी / अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय वन विभाग,
उत्तराखण्ड इन्दिरा नगर देहरादून

विषय :– ऑनलाइन कर वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव हार्डकापी में प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि इस खण्ड द्वारा निम्न मोटर मार्गों वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाइन कर 2–2 प्रतियों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं:–

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	हैक्टयर
1	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 654 / 2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कपकोट में ग्रामसभा डाना में 5.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।	5.00	3.960
2	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 75 / 2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कपकोट में शामा लीती गोगिना मोटर मार्ग से रामगंगा नदी तक 2.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।	2.00	1.350
3	जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।	7.00	4.287

संलग्न–उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 2–2 प्रतियों में।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
कपकोट

प्राप्त किया
2017
कार्यालय
नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक
भू-सर्वेक्षण निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रपत्र– 2.36

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वनभूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:–

1. ईको– क्लास श्रेणी 5 **(V)**
2. हरियाली का घनत्व 0.2
3. हरियाली की दर प्रति है0 6.57 है0 लाख
4. आवेदित वनभूमि का क्षेत्रफल 1.5400 है
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि 10.11 लाख

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर